न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास—दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या — 202/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार (भूमिधारी) रियांबड़ी		1— घीसाराम पुत्र पालाराम कौम रेगर (फौत) निवासी रियां बडी के कायम मुकामान 1/1— नारायण राम पुत्र घीसाराम (फौत) के कायम मुकामान 1/1/1— हीरालाल पुत्र नारायण राम पता— चाणक्यपूरी सैक्टर—3 छाटलोडियां अहमदाबाद मकान न. 542, पिन— 380061 मो. 9725939548 1/2— जीवणलाल पुत्र घीसाराम (फौत) के कायम मुकामान 1/2/1— हेमराज पुत्र जीवणलाल पता— बोहरा गली न. 4 सरवारा नगर 3 पूलीया चौकी के सामने इन्दौर पिन 432004 1/2/2— गेन्दीबाई पत्नि जीवणलाल पता— बोहरा गली न. 4 सरवारा नगर 3 पूलीया चौकी के सामने इन्दौर पिन 432004 1/2/3— पुखराज पुत्र जीवणलाल (फौत) के कायम मुकामान 1/2/3/1— प्रवीण पुत्र पुखराज बोहरा गली न. 4 सखारा नगर 3 पूलीया चौकी के सामने इन्दौर पिन 432004 1/2/3/2— यशोदा पत्नि पुखराज (फौत) 1/2/3/3— सिमा पुत्री जीवणलाल पता— सिमा पत्नि गौरधनराम सुवासिया रेगरो का मौहल्ला आलनीयावास नागौर मो. 9920587014 1/3— मंगलाराम पुत्र घीसाराम (फौत) के कायम मुकामान 1/3/1— जगदीश पुत्र मंगलाराम पता— जगदीश मदनलाल बोहरा 19/1 सरवारा नगर 3 पूलीया चौकी के सामने इन्दौर पिन 432004 मो.न. 7225884995 1/3/2— देवीलाल पुत्र मंगलाराम पता— जगदीश मदनलाल बोहरा 19/1 सरवारा नगर 3 पूलीया चौकी के सामने इन्दौर पिन 432004 मो.न. 7225884995 1/3/3— दुर्गेश पुत्र मंगलाराम पता— जगदीश मदनलाल बोहरा 19/1 सरवारा नगर 3 पूलीया चौकी के सामने इन्दौर पिन 432004 मो.न. 7225884995 समस्त जातियान रेगर

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से वकील राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
2. अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक : 16.12.19

प्रार्थी तहसीलदार रियांबड़ी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी घीसाराम के फौत हो जाने पर उसके कायममुकामान को रिकार्ड पर लिया गया, परन्तु अप्रार्थीगण ने सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

कलक्टर, नागौर

प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा की एकतरफा बहस सुनी। राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि मौजा रियांबड़ी के साबिक खसरा नम्बर 1353 मिन रकबा 15 बीघा / हैक्टयर भूमि अप्रार्थी घीसाराम पुत्र पाला राम जाति रेगर निवासी रियांबड़ी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत् आंवटन हुई थी। अप्रार्थी को उक्त भूमि वर्ष 1970 में आंवटन हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14(3) के तहत् प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू–भाग को व द्वितीय वर्ष में शेष भाग को जोतना आवश्यक था। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया जो खसरा गिरदावरी संवत् 2031–2071 तक के नकलों से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी को आंवटित भूमि पर काबित काश्त नहीं है, तथा मौके पर भूमि पड़त के रुप में हैं, जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं है जो पटवारी हल्का रियां बड़ी की रिपोर्ट से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया है, जिसके कारण अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 14 (3) के तहत निरस्त होने योग्य होने का कथन करते हुए अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार निरस्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी ग्राम रियांबड़ी संवत् 2027 से 2030 की नकल के अनुसार खसरा नम्बर 1353 मिन रकबा 15 बीघा भूमि के संबंध में अप्रार्थी घीसाराम का नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। पटवारी रियांबड़ी, भू–अभिलेख निरीक्षक रियांबड़ी की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 04.09.2015 के अनुसार घीसाराम पुत्र पालाराम कौम रेगर निवासी रियांबड़ी के नाम रकबा 2.43 हैक्टयर की संयुक्त खाते में गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपस्थित मौतबिरानों ने बताया कि उक्त घीसाराम का उक्त खसरा नम्बरों में मौके पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा वर्तमान में भी कब्जा काश्त नहीं होना बताया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों के की नकलें से भी अप्रार्थी घीसाराम द्वारा कभी काश्त किया जाना साबित नहीं है। अप्रार्थीगण ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भी भाग नहीं लिया, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की रूची नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला आवेदन स्वीकार किया जाता है। मौजा रियांबड़ी में अप्रार्थी घीसाराम पुत्र पालाराम कौम रेगर निवासी रियांबड़ी के नाम पर खसरा नम्बर 1353 मिन में से रकबा 15 बीघा कृषि प्रयोजनार्थ किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार रियांबड़ी को भूमि का इन्द्राज पूर्ववत बहाल कर सरकारी तहवील में लिये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रियांबड़ी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.01.22 18:10:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: